

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७

सम्पादक : मगनभाजी प्रभुवास देसाजी

अंक २३

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ८ अगस्त, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

हिन्दी-अर्दूका सवाल

हिन्दी साहित्य सम्मेलनके साथ तो मेरा संबंध सन् १९१८ से है, जब मैं पहली बार उसका सभापति चुना गया था। उस समय मैंने राष्ट्रभाषा-संबंधी अपने विचार जनताके सामने रखे थे। सन् १९३५ में जब मैं दुबारा उसका सभापति चुना गया, तो मेरे समझाने पर सम्मेलनने हिन्दीकी मेरी जिस व्याख्याको स्वीकार कर लिया कि हिन्दीसे मतलब उस जवान या बोलोसे है, जिसे अतरी हिन्दुस्तानके हिन्दू और मुसलमान आम तौर पर बोलते हैं और जो फारसी या देवनागरीमें लिखी जाती है। कुदरती तौर पर जिसका नतीजा यह होना चाहिये था कि सम्मेलनके सदस्य जिस नयी परिभाषाके अनुसार हिन्दीका अपना ज्ञान बढ़ाते और जिस तरहका साहित्य तैयार करते, जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों पढ़ सकते। जिसके लिए सम्मेलनके सदस्योंको सहज ही फारसी लिपि सीखनी पड़ती। मगर मालूम होता है, अन्होंने अपनेको जिस गौरवपूर्ण अधिकारसे वंचित रखना पसन्द किया है। खैर, अब भी कुछ विगड़ा नहीं — देर आयद, दुस्त आयद। काश, वे अब भी जागें। अन्हें अंजुमनकी राह नहीं देखनी चाहिये। अगर अंजुमन भी जागे और कुछ करे, तो बड़ी बात हो। क्या ही अच्छा हो कि दोनों संस्थायें आपसमें मिलकर और अकदिल होकर काम करें। लेकिन मैंने तो दोनोंको अपने-अपने ढंगसे अलग-अलग काम करनेकी बात भी सुझावी है। मैं मानता हूँ कि जिस तरह जो भी संस्था मेरे बताये हुये ढंग पर काम करेगी वह न सिर्फ अपनी भाषाको समृद्ध बनायेगी, बल्कि आखिरमें अक ऐसी संयुक्त भाषाका निर्माण भी करेगी, जो सारे देशके काम आयेगी।

कमनसीबी तो यह है कि आज हिन्दी-अर्दूका सवाल अक कौमी झगड़ेका सवाल बन गया है। झगड़ेकी यह जड़ कट सकती है, बशर्त कि दोनों दलोंमें से कौमी भी अक दल दूसरे दलकी भाषाको अपनाते और उसमें जितना कुछ लेने लायक है, उसे अदरतापूर्वक लेनेको तैयार हो जाय। याद रहे कि जो भाषा अपनी विशेषताकी रक्षा करते हुये दूसरी भाषाओंसे खुलकर मदद लेती है, वह अपनी जिस अदर नीतिके कारण अंग्रेजीकी तरह समृद्ध बन सकती है।

('हरिजनसेवक', २३-१-४२)

लेकिन क्या अर्दू हिन्दीसे अतनी ही भिन्न है, जितनी बंगला मराठीसे? क्या अर्दू असी हिन्दीका नाम नहीं, जो फारसी लिपिमें लिखी जाती है और संस्कृतसे नये शब्द लेनेके बजाय फारसी या अरबीसे नये शब्द लेनेकी तबीयत रखती है? अगर हिन्दू और मुसलमानोके बीच किसी तरहकी अनबन न होती, तो लोग जिस चीजका खुशीसे स्वागत करते। जब आपसकी यह अदावत मिट जायेगी, असा कि अक दिन जिसे मिटना ही है, तो हमारी

सन्तान हमारे जिन झगड़ों पर हंसेगी और अपनी अुस सर्वमान्य भाषा हिन्दुस्तानी पर गर्व करेगी, जो असंख्य लेखकों और लोगों द्वारा अुनकी अपनी आवश्यकता, रुचि और योग्यताके अनुसार कमी भाषाओंसे खुले दिलके साथ लिये गये शब्दोंके सुमेलसे बनायी जायेगी।

('हरिजनसेवक', ८-२-४२)

मो० क० गांधी

निकम्मा शिक्षण

चांडिल-सम्मेलनमें जयप्रकाशजीने विद्यार्थियोंको सलाह दी कि अकाश सालके लिये कॉलेज वर्गका छोड़कर भूदान-यज्ञके काममें लग जाओ। जिस पर विद्यार्थियोंने मेरा मत पूछा। मैंने अुनसे कहा, “भूदान-यज्ञके आन्दोलनमें काम न करना ही तो भी विद्यार्थी कॉलेज छोड़ सकते हैं।” यह सुनकर विद्यार्थियोंको मजा आया।

कॉलेजके बाहर ज्ञान-भंडार

सैंतीस साल पहलेकी बात है। कॉलेज छोड़कर ज्ञानकी खोजमें मैं बाहर निकला। कॉलेजमें और बहुतसी बातें दिखायी दीं, लेकिन ज्ञान नहीं दिखायी दिया। पर कॉलेज छोड़नेके बाद ज्ञानके अनंत द्वार खुल गये।

मेरी ज्ञानकी अुपासना आज तक जारी है। ज्ञानके समान पवित्र और कुछ नहीं है, असा ही मैं मानता आया हूँ। जिसलिये कॉलेजमें जो कालक्षेप होता था, अुसे मैं नहीं सह सका। विद्यार्थियोंसे मेरा हमेशा ही परिचय रहा है और पाठशालाओंमें क्या-क्या सिखाया जाता है, जिसकी मैं हमेशा जांच-पड़ताल किया करता हूँ। सैंतीस साल पहले शिक्षणके नाम पर जो खाद्य हमें दिया जाता था, लगभग अुसी नमूनेका खाद्य आज भी दिया जाता है। अुस वक्त हमारा देश पराधीन था, आज स्वाधीन हो गया है। अितने बड़े परिवर्तनसे भी स्कूलके, पाठशालाके, शिक्षणमें कौमी अुल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है।

जड़कर्म

देशमें अक तरफ करोड़ों लोग जड़ कर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ लाखों विद्यार्थियोंको कर्म-शून्य मूढ़ शिक्षण दिया जा रहा है। हुक्काम और हुकमी — सिर्फ हुक्म करनेवाले और सिर्फ हुक्म माननेवाले — जिस तरहके दो वर्ग बन गये हैं। वैयं, दारिद्र्य और दुःखका सुकाल हो रहा है।

मध्यमवर्गीय

अक जगह मध्यमवर्गकी तरफसे कुछ लोगोंने मेरे सामने शिकायत रखी। कहने लगे, “मध्यमवर्गकी हालत बहुत ही खराब है। अूपरके वर्गके पास पैसा है। नीचेके वर्गके पास कम-से-कम श्रम-शक्ति तो है। हमारे पास श्रम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। घरमें कमानेवाला अकांघ, खानेवाले कमी। कमावकीके

हिसाबसे रहन-सहन रखनेकी आदत नहीं। रहन-सहनके हिसाबसे कमाजी करनेकी गुंजायिश नहीं। आप जिस प्रकार गरीबोंको जमीन देंगे, क्या उस प्रकार हमें भी देंगे ?" मैंने कहा, "आपको जमीन देनेमें मुझे कुछ भी अड़चन नहीं, लेकिन आप लोगोंको जमीन लेनेमें अड़चन है। खेत पर आप खुद परिश्रम कर नहीं सकेंगे। फिर जमीनें आप किस तरह लेंगे ? जब तक वर्तमान शिक्षण नहीं बदलेगा, तब तक मध्यमवर्गियोंके दुःख समाप्त नहीं होंगे।"

"ठीक शरीर पनपनेके दिनोंमें यदि जाड़ा, हवा, धूप और वर्षा सहनेकी आदत न रही, तो बिच्छा होने पर भी खेतमें परिश्रम कैसे होगा ?"

विनोबा

भारतकी गृहनीतिका क्या ?

भारतीय पाठकोंको यह जानना दिलचस्प मालूम हो सकता है कि पश्चिमका एक नागरिक आज भारतको और दुनियाके कामकाजमें भारत जो भाग ले रहा है उसको किस दृष्टिसे देखता है, और भविष्यमें भी वह जो भाग ले सकता है उसके बारेमें क्या सोचता है।

ज्यादातर भारतीय शायद जिस बातको नहीं महसूस करते कि भारतके राजनीतिज्ञ विश्वकी राजनीतिमें क्या पार्ट अदा कर रहे हैं, पश्चिमकी गुटबंदीकी भूमिकामें उनके विचार कितने आश्चर्यजनक मालूम होते हैं और ये विचार कितनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं।

कुछ दिन पहले एक प्रेस कान्फरेन्समें कोरियाके विषयमें पूछे गये एक प्रश्नका जवाब देते हुये श्री नेहरूने एक बड़ी सादी बात कही थी कि हरएक समस्याका शान्तिपूर्ण हल हो सकता है। उस उत्तरमें हम गांधीको फिरसे नेहरूमें मूर्तरूप लेते देखते हैं और यह लगातार हो रहा है। लेकिन यह उत्तर अमेरिकाकी नीति और अधिकारियोंके मानसके खिलाफ जाता है—जिनका यह पक्का विश्वास है कि अमरीकी और रूसी जीवन-पद्धतिमें कोभी समझौता नहीं हो सकता; और यह कि जब तक साम्यवादका खाल्ता नहीं कर दिया जाता या रूसको हरा नहीं दिया जाता, तब तक शीत या गुष्ण-युद्धकी नीतिका स्थान दूसरी कोभी नीति नहीं ले सकती।

अमेरिका ज्यादासे ज्यादा अुम्मीद सफल शीत-युद्धकी रखता है। लेकिन जिस शीत-युद्धने अनेक पश्चिमी राष्ट्रोंके सामने दिवालियेपन और अमेरिका पर पूर्णरूपसे निर्भर रहनेका खतरा पैदा कर दिया है।

और अब आपके उपराष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन्, जो अमेरिकाका दौरा कर रहे हैं, हर तरहके सार्वजनिक अवसरों पर गांधीवादी तत्त्वज्ञानका अुदारतासे लोगोंको रसपान करा रहे हैं। उस दिन अपनी विदाओके समय अुन्होंने केनाडाके लोगोंसे रेडियो पर जो बात की, उसमें एक बड़ा सच्चा लेकिन अपरिचित सिद्धान्त था। उसके कुछ हिस्से मैं यहां देता हूँ :

"आज हमारा ध्येय तीसरे युद्धमें सैनिक विजय नहीं, बल्कि लोगोंके मानसको बदलनेके लिये धैर्यके साथ किया जानेवाला समझदारीमरा राजनीतिक कार्य होना चाहिये. . . ।

"राजनीतिक गुटबंदीमें हमारा विश्वास नहीं है। युद्ध समस्याओंको हल नहीं करता, बल्कि अधिक समस्यायें पैदा करता है। हम शान्तिकी राजनीतिमें विश्वास करते हैं और न्याय पर खड़ी शान्तिमें विश्वास रखते हैं। युद्ध किसी अच्छे साध्यका बुरा साधन नहीं है। वह अपने आपमें ही बुरी चीज है। वह विजेता और पराजित दोनोंको परेशान कर देता है। राजनीतिक कार्यका सही ध्येय हमारे शत्रुओंका नाश नहीं, बल्कि अुन्हें शिक्षा देना, अुनकी वृत्तियों और व्यवहार पर प्रभाव डालकर अुनका हृदय-परिवर्तन करना है। . . .

"हमें आज अमरीकी या रूसी जीवन-पद्धति नहीं, मानवीय जीवन-पद्धति चाहिये। विज्ञानने हमें पृथ्वी-तलसे भूख और गरीबीकी विपत्ति निःशेष कर सकनेकी शक्ति दे दी है। दुनियाके जो देश कम्युनिस्ट प्रभावके बाहर हैं, यदि हम वहां सुख और समृद्धिकी मजबूत स्थापना कर दें, तो शांतिकी संभावना और आशा बढ़ जायगी।

"आज एक विश्व-व्यापी क्रान्ति चल रही है, और यह क्रान्ति स्वतंत्र रूपसे चल रही है; उसके पीछे कम्युनिज्मकी प्रेरणा नहीं है। गैर-कम्युनिस्ट देशोंमें अधिकांश देशोंके निवासी रोग, भूख और अवज्ञाका कष्ट भुगतते आये हैं; अब वे आर्थिक विकासकी मांग कर रहे हैं।

"हम लोगोंने खुद राजनीतिक और आर्थिक शोषणका कष्ट भोगा है। स्वभावतः हमारी अुनसे सहानुभूति है, जो गुलामीसे मुक्त होनेके लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

"अगर हम देखते हैं कि दुनियाके वे शक्तिशाली देश, जो संयुक्त-राष्ट्र-संघमें प्रमुखताका स्थान रखते हैं, राष्ट्र-संघके चार्टरमें अुल्लिखित आदर्शोंका पूरा निर्वाह नहीं करते, शान्ति और स्थिरताकी ओटमें मौजूदा स्थितिको ही कायम रखनेकी कोशिश करते हैं, अगर हमें मालूम होता है कि अुनकी जिस कोशिशके पीछे स्वार्थकी भावना है, तो हमें बहुत दुःख होता है। शक्ति और प्रभुता मनुष्यको पतनकी तरफ प्रेरित करती है, लेकिन विवेकबुद्धि और अंतरात्माकी प्रेरणा अुसका अुद्धार करती है। हमें चाहिये कि हम अपनी समझके अनुसार दूसरोंमें दिखनेवाले राक्षसके खिलाफ न जूसकर, अपने अन्दर बसनेवाले भगवानको प्रगट करनेमें ही अपनी शक्ति लगायें।"

पश्चिममें आज ऐसे हजारों लोग हैं, जो अिन सारे अुद्गारोंका समर्थन करेंगे। अिन अुद्गारोंकी विशेषता जिस बातमें है कि वे एक राज्यके एक बड़े अधिकारी द्वारा कहे गये हैं—एक ऐसे राज्यके जो दुनियाके राजनीतिक क्षितिज पर विशेष चमकके साथ प्रगट हो रहा है। कोभी भी जिम्मेदार पश्चिमी राज्याधिकारी ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन संयुक्त-राष्ट्र-संघ आज जिस दलदलमें फंस गया है, अुससे निकलनेका रास्ता तो यही है। भारत अगर अपनी आवाजका बल किसी रास्तेके पक्षमें और ज्यादा लगाता जाय, तो संभव है कि दुनिया तीसरे विश्व-युद्धके संकटसे बच जाय।

लेकिन जिस संबंधमें यह सवाल जरूर अुठता है कि भारतकी गृह-नीति कैसी हो ? भारत आज एक संक्रांतिकी अवस्थासे गुजर रहा है। ऐसे मौके पर यह याद रखना चाहिये कि आखिर किसी देशकी विदेश नीति अुसकी गृह-नीतिसे निर्धारित होती है। पश्चिममें चलनेवाली सत्ताकी राजनीति अुसकी आक्रामक आर्थिक नीतिसे, दुनियाके बाजारों और साधन-संपत्ति पर अपना अेकाधिकार चाहनेकी अिच्छासे अुत्पन्न हुयी थी। आज पूर्वमें और रंगीन जातियोंके देशोंमें जो जागृत्तिकी लहर आयी है, अुसने पश्चिमकी आक्रामक आर्थिक नीतिका खाल्ता कर दिया है, और मानव-कल्याणकारी मानवोचित अर्थनीतिका विकास करनेकी प्रेरणा पैदा की है।

मुझे लगता है भारत आज जिस सोच-विचारमें पड़ा हुआ है कि किस रास्तेका चुनाव किया जाय। अुसके सामने एक-दूसरेकी विरोधी दो जीवन-पद्धतियां और अुनके अनुसार दो तरहकी अर्थ-नीतियां हैं—पश्चिमकी अर्थनीति और जीवन-पद्धति, और गांधीजीकी बतलायी अर्थनीति और जीवन-पद्धति; और वह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि अिनमें से किसे चुने। अगर वह पश्चिमके रास्ते पर चलता है तो अुसका वही हाल होगा जो पश्चिमी देशोंका हुआ है; अर्थात् वह विनाशकारी सैन्यवादके चंगुलमें फंसकर अपनी

गति खो बैठेगा। तब उसे पश्चिमी देशोंकी तरह अपने आर्थिक संघटनके टूटनेका भय सतायेगा, विभिन्न राजनीतिक वादोंकी बुलझनमें फंसना होगा, और आजकलके व्यापक युद्धोंमें हिस्सा लेनेका खतरा भुठाना होगा। लेकिन अगर वह संपूर्ण मनसे गांधीजीका बताया रास्ता अपनावे, तो मेरा विश्वास है कि वह धीरे-धीरे नीतिके क्षेत्रमें और अर्थके क्षेत्रमें भी दुनियाके देशोंका नेता बन सकेगा।

हमारी पश्चिमी और आपकी पूर्वी सभ्यता, दोनों ही आज बीमार हैं, दोनोंकी अपनी विशेष कमजोरियां हैं जिनके कारण वे प्रगतिहीन हो गयी हैं; और अब हमारी समझमें आ रहा है कि दोनोंका अिलाज करीब-करीब एक ही है। हम दोनोंको ही शक्ति और सत्ताको बढ़ानेवाली या आक्रामक अर्थनीति नहीं चाहिये, हमें चाहिये मानवीय अर्थनीति — एक ऐसी रचना जो मनुष्यके संपूर्ण विकासकी व्यवस्था करे, पास-पास रहनेवाले पड़ोसी देशों और मनुष्य-समुदायोंमें सहयोगकी वृत्ति पैदा करे, जो केवल धन-संपत्ति और सुख-सुविधाकी वस्तुओंके निर्माणमें न लगी रहे, बल्कि मनुष्योंका — पुरुषों और स्त्रियोंका निर्माण भी करे। जीवन रोटीसे ज्यादा बड़ा है, और समृद्धिका अर्थ वस्तुओंकी विपुलता नहीं; वह है मनुष्यकी सर्जन-मूलक आत्म-अभिव्यक्ति, पड़ोसियोंके साथ प्रेमपूर्वक रहनेका आनन्द। उसमें सुख-सुविधाकी भौतिक वस्तुओंका भी समावेश होता है, लेकिन जितनी पर्याप्त हों, उससे अधिक नहीं; विलासिता तो नहीं ही होनी चाहिये। क्योंकि वह शरीर और आत्मा दोनोंको मारती है। पश्चिमी अर्थ-रचना जिन सब मूल्योंकी कोभी कीमत नहीं करती, उसका लक्ष्य मुनाफा और वस्तुओंकी विपुलता पर ही केन्द्रित है। वह प्राणहीन वस्तुओंके ढेर लगाती रहती है और मनुष्यको मशीनमें जोत, उसे मशीन जैसा ही बनाकर उसकी आत्माका तिरस्कार करती है। तो हम दोनों गोलाघोंके निवासियोंका अद्देश्य एक ही है और यह भी निश्चित है कि या तो दुनियाको जिस अद्देश्यकी प्राप्तिका प्रयत्न करना चाहिये, या उसका विनाश हो जायगा।

विल्फ्रेड वेल्क

[सर्वोदय, तिरुपुर, जुलाबी १९५३ से संक्षिप्त रूपमें अद्वृत]
(अंग्रेजीसे)

गरीबोंका खयाल करो

एक ग्रामसेवक बड़े दुःखके साथ लिखते हैं:—

“भारतके सामने आज अनेक पेचीदा सवाल मुंह फैला कर खड़े हैं, जिनमें महत्त्वके हैं अन्नकी कमी, बेकारीका भूत, और खरीदशक्तिका ह्रास वगैरा। अिनका मुकाबला करनेका खयाल कोभी नहीं करता। सुशिक्षित समाजका ध्यान जिस ओर बहुत कम मालूम होता है। और जिन चीजोंका राष्ट्रहितकी दृष्टिसे बहुत कम मूल्य है, अुनके पीछे हम पागल बनकर दौड़ते हैं। क्रिकेटकी प्रतियोगितायें, अमरीकी ढंगकी कुशितियां, अभिरूप लोकसभायें, व्याख्यान-मालायें, छोटी बच्चियोंकी सिनेमा नृत्य-स्पर्धायें और अब चल रहा है अंबरेस्ट विजयका दौरदौरा। क्या यही हमारे सामने महत्त्वके सवाल हैं? क्या अिनके पीछे अितना पागल बन जाना हमारे लिये शोभाकी बात है? अिन चीजोंसे देशकी प्रगतिमें क्या वृद्धि होती है? यह मुझ जैसा गंवार आदमी समझ नहीं पाता।”

पत्रलेखकका दुःख सही है। हमारे अूपरके वर्गोंको चाहिये कि वे गरीबोंका खयाल रखें और अपनी ही आपाधापी या अंश-आराममें न फंस जायें। जिससे राष्ट्रका पतन होगा।

२३-७-५३

४० प्र०

क्या यह टाला नहीं जा सकता था?

आशा की जाती है कि संयुक्त राज्य अमेरिकाकी कांग्रेस प्रेसिडेंट आइसनहोवर द्वारा पेश की गयी जिस योजनाकी शीघ्र स्वीकृति दे देगी कि कोरियाकी लड़ाईकी जरूरतें पूरी करनेके लिये पहले जो रकम निर्धारित की गयी थी, उसके अंक हिस्सेसे लड़ाईके बाद अब कोरियाका पुनर्निर्माण शुरू किया जाय। अुन्होंने यह सुझाव रखा था कि अुन १२० करोड़ डालरमें से, जो एक साल और लड़ाईमें भाग लेने पर अमेरिकाको खर्च करने पड़ते, जिस कामके लिये शुरूमें २० करोड़ डालरकी रकम दे दी जाय।

अमेरिकन कांग्रेसको दिये हुअे अपने सन्देशमें प्रेसिडेंटने कोरियाके लोगोंकी कष्ट स्थितिका अिन शब्दोंमें वर्णन किया था:

“जिस लड़ाईमें कोरियाके लोगोंकी जो बरबादी हुयी और उसकी सारी अर्थरचना जिस तरह टूटकर नष्ट हो गयी, वह भयंकर है। १९५० में जब लड़ाई शुरू हुयी, तबसे लेकर अब तक दक्षिणी कोरियाके १० लाख अ्यदमी मारे जा चुके हैं। २५ लाखसे ज्यादा बेघरबार और निराश्रित बन गये हैं। ५० लाख आदमी जीवित रहनेके लिये पूरी तरह या अंशतः राहत पर निर्भर करते हैं। जायदादकी बरबादी १०० करोड़ डालरसे अुपर पहुंच गयी है। यह आर्थिक नाश अत्यन्त भयंकर कहा जायगा”

न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघके एक अधिकारीने कोरियाकी दयनीय हालतका ज्यादा विस्तारसे नीचेके शब्दोंमें वर्णन किया है:

“धानके खेतों, खदानों और कारखानोंको, जो एक समय कोरियाकी जनताके जीवन-निर्वाहके साधन थे, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मुद्राप्रसारके कारण सारा अर्थ-तंत्र खतरेमें पड़ गया है और औसत कोरियन भयंकर गरीबीका शिकार हो गया है।

“लड़ाईमें नागरिक हताहतोंकी संख्या ही हजारों-लाखों तक पहुंच गयी है। लाखों लोग बेघरबार हो गये हैं। असंख्य वच्चे अनाथ बन गये हैं। बहुत बड़ी संख्यामें परिवारके परिवार मार डाले गये या एक दूसरेसे बिछुड़ गये हैं।

“कोरियन गणतंत्रके लोगोंकी मौजूदा जरूरतें पूरी करनेके लिये लगभग ९,००,००० मकान खड़े करने होंगे। करीब ४,००,००० मकान पूरी तरह नष्ट हो गये हैं, जिनकी जगह नये मकान बनाने होंगे। फिर अुत्तरी कोरियाके निराश्रितोंको रखनेके लिये भी मकानोंकी जरूरत होगी।

“शिक्षण-पद्धति तथा डाक्टरी और समाज-कल्याणके कामोंकी — जिनमें अनाथों और बूढ़ोंकी देखभाल करनेवाली संस्थायें भी शामिल हैं — नये सिरसे पुनर्रचना करनी होगी। निराश्रितोंको फिरसे बसानेकी और हजारों-लाखों अंपंगोंके पालन-पोषणकी बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी है। यहां तक कि खुद सरकारके लिये भी अिमारतोंकी जरूरत है, जहां बैठकर वह अपना काम कर सके।”

यह जानकर खुशी होती है कि लड़ाईके धावोंसे धराशायी बने हुअे कोरियाको, नया जीवन देनेके लिये जीवन-दायिनी प्राण-वायुके डालर-अिन्जेक्शन दिये जा रहे हैं। लेकिन जिससे भी ज्यादा गहरा सवाल तो यह है कि हम किसीको अैसी निर्दयता और अमानुषिकतासे धराशायी क्यों बनावें? क्या यह जरूरी है कि पहले तो हम निर्दोष मानवता पर कठोर प्रहार करें और फिर उसकी मरहम-पट्टीका प्रबंध करें? क्या अैसा करना सचमुच मूर्खता नहीं है? क्या यह सचमुच अनिवार्य था?

३०-७-५३

(अंग्रेजीसे)

मंगनभाभी देसायी

हरिजनसेवक

८ अगस्त

१९५३

“कोओ नहीं है गैर बाबा”

अुत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अध्यक्ष डॉ० बाबूराम सक्सेनाने अुर्दूको प्रादेशिक भाषा स्वीकार करनेके विरुद्ध दिये अपने अेक अखबारी वयानमें मेरे विषयमें नीचेके शब्दोंमें अुल्लेख किया है। अुसमें अुनकी दृष्टिसे मेरा यह दोष हुआ लगता है कि मैंने ‘हरिजन’ पत्रोंमें ‘खेदजनक निर्णय’ नामक लेख लिखकर अुत्तर-प्रदेशमें राष्ट्रभाषा और हिन्दी-अुर्दूके बारेमें चल रहे झगड़ेके सम्बन्धमें कुछ कहा है। अुस लेखमें मैंने जो कुछ कहा है, वह सच पूछा जाय तो अिन पत्रोंके पाठकोंके लिये किसी तरह नया नहीं है। तत्त्वतः वह बात गांधीजी अिन पत्रोंमें हमेशा कहते रहते थे। अुसी परसे आजकी परिस्थितिमें जो बात अुचित हो सकती है, वह सार रूपमें मैंने पेश की है। संभव है अैसा करनेमें मेरी कुछ भूल हुआ हो; वह मुझे बतायी जा सकती है। लेकिन डॉ० सक्सेनाने अैसा नहीं किया।

यह साफ है कि मेरा वह लेख डॉ० सक्सेनाको पसन्द नहीं आया। यदि मैं कहूँ कि अिसमें कोओ आश्चर्य नहीं, तो वे मुझे माफ करेंगे। क्योंकि हिन्दी साहित्य सम्मेलनको भी गांधीजीकी यह बात पसन्द नहीं थी। अुसी कारणसे सन् १९४०-४२ के बाद गांधीजीको वह संस्था छोड़नी पड़ी थी और राष्ट्रभाषाके बारेमें सही विचार पेश करने और अुसे आगे बढ़ानेके लिये नयी संस्था बनानी पड़ी थी। लेकिन यह आशा रखी जाती थी कि संविधान बनाते समय अिस सारी बातका और राष्ट्रकी भाषा-संबंधी समग्र नीतिके बारेमें जो संतोषजनक हल निकाला गया था, अुसका हिन्दी साहित्य सम्मेलन स्वागत करेगा। लेकिन अुसने वह नीति स्वीकार नहीं की और अपनी पुरानी नीतिके मुताबिक वर्षा समितिके जरिये प्रचार-कार्य जारी रखा। बम्बयी सरकारका ध्यान अिस तरफ गया और अुसने वर्षा समितिके प्रचार-कार्यको प्रमाणित नहीं किया। बम्बयी सरकारके अिस कदमकी सचाईके बारेमें अगर अभी भी किसी प्रमाणकी जरूरत हो, तो डॉ० सक्सेनाका अुपर्युक्त वक्तव्य अुसका अेक सबल प्रमाण कहा जा सकता है। अुसमें वे मेरे विषयमें कहते हैं:

“जो लोग अुत्तर भारतके नहीं हैं और अिस कारणसे जिन्होंने (हिन्दी-अुर्दू) के झगड़ेके फल नहीं चखे हैं, अुन्हें सन्धी स्थितिका खयाल नहीं है। ‘हरिजन’ पत्रोंके संपादक श्री मंगनभायी देसायी अिसी वर्गके आदमी हैं। . . . श्री देसायी जैसे कार्यकर्ताओंने बहुजन समुदायकी समझमें न आनेवाले शब्दों और लिपिमें निकलनेवाले समन्तों या पुलिसकी रिपोर्टोंकी पीड़ा नहीं भोगी है।” (लीडर, २६-७-५३ की रिपोर्टमें से)

यह सच है कि मैं अुत्तर भारतका नहीं हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि भारतके सारे प्रदेशोंमें अदालतोंके समन्त और पुलिसकी रिपोर्टें, अेके वे किसी भी भाषा या लिपिमें हों, ८० फी सदी से अुपर लोकोके समझमें नहीं आतीं। और बाकीके जो लोग हैं, अुनमें से अुत्तर प्रदेशमें जो नागरी जानते हैं अुन्हें अुर्दू लिपि अनुकूल नहीं पड़ती और जो अुर्दू लिपि जानते हैं अुन्हें नागरी अनुकूल नहीं पड़ती। और यही कारण है कि अुत्तर प्रदेशमें लाखों आदिमियोंने धीनों लिपियां सीख ली हैं। गांधीजी कहते थे कि अिससे लोगोंको लाभ होगा।

और यह कहना भी ठीक नहीं है कि हिन्दी-अुर्दूके झगड़ेसे केवल अुत्तर भारतको ही पीड़ा भोगनी पड़ी। अुत्तर प्रदेशमें मुलगते रहे सम्प्रदायवादके अिस झगड़ेने सारे देशको जलाया है। अुस झगड़ेको मिटानेके लिये गांधीजीने १९१८ से भाषाके क्षेत्रमें जो अथक प्रयत्न किये, अुनमें मैंने थोड़ा हिस्सा लिया है, अिस-लिये मुझे अुसकी पीड़ाका अनुभव है। वह झगड़ा आज भी अुत्तर प्रदेशमें शान्त नहीं हुआ, यह देशका बड़ा दुर्भाग्य है।

गांधीजीके अुस प्रयत्नका रहस्य न समझनेसे सारे देशको कितनी मुसीबतें सहनी पड़ीं, यह सब कोओ जानते हैं। क्या आज भी अुस जहरको ताजा बनाये रखना है? सच बात तो यह है कि अब अुस जहरको शान्त करना चाहिये और फिरसे अुस पीड़ाको पैदा नहीं होने देना चाहिये। श्री सक्सेना जैसे अुत्तर प्रदेशके हिन्दी-भक्त अिस पर विचार करें, अैसी मेरी अुनसे नम्र प्रार्थना है।

और देशके लिये अेक राष्ट्रभाषाके विचारके बारेमें श्री सक्सेना मुझे यह याद दिलावें कि मैं अुत्तर भारतका नहीं हूँ, यह कैसी बात है? अुन्होंने यदि पूनाकी अखिल भारतीय भाषा विकास परिषद्का प्रस्ताव देखा हो (‘हरिजनसेवक’, २७-६-५३), तो अुसमें अुन्होंने पढ़ा होगा:

“संविधानके आदेशके अनुसार भारतीय संघकी राज-भाषाका विकास करना भारतकी सारी भाषायें बोलनेवालोंका समान कार्य है। . . . वह मूल भाषाकी प्रकृति और प्रतिभाके अनुरूप होगी।”

श्री सक्सेना अुत्तर प्रदेशकी अपनी अेक खास शैलीकी हिन्दीको वहांकी प्रादेशिक भाषा रखना चाहें, तो खुशीसे अैसा कर सकते हैं। लेकिन अुसी कारणसे अुसकी दूसरी शैली अुर्दूको भी वहांकी प्रादेशिक भाषा बननेका हक है, यह अुन्हें स्वीकार करना चाहिये; और अुसमें राष्ट्रभाषाके विकासका हित होनेके कारण अुत्तर भारतके बाहरके लोगोंकी भी अुसमें दिलचस्पी है।

और हिन्दीसे भिन्न अुर्दू भाषा भारतके संविधानकी आठवीं सूचीमें जो गिनायी गयी है, वह किस लिये? अुसका क्या कारण है? अिसका अर्थ भी समझना चाहिये।

फिर अगर हिन्दी-अुर्दूमें भेद सिर्फ शब्दभंडार और लिपिका ही हो, तो यह कौन अितना बड़ा भेद है कि अिसकी वजहसे अुर्दूको पराधी और विदेशी संस्कृतिकी भाषा माना और मववाया जाता है? हम अंग्रेजी भाषाके विकाससे जानते हैं कि भाषाके विकासके लिये शब्द तो सारी दुनियासे लिये जा सकते हैं। यह तो शायद ही कोओ कहेंगे कि हिन्दीका अिस तरह विकास नहीं होना चाहिये। बल्कि हिन्दी भाषाने तो अैसा केवल शब्दोंके संबंधमें ही नहीं, समग्र जीवन और संस्कृतिके संबंधमें भी हमें सिखाया है कि:

“कोओ नहीं है गैर बाबा
कोओ नहीं है गैर।”

* * *
“ना कोओ बैरी नाहि बिगाना,
सकल संगि हम को बनि आयी।”

महान संस्कृति और भाषाके अिस सन्देशको अुत्तर भारत कैसे भूल सकता है? श्री सक्सेना जैसे मित्रोंसे मेरा निवेदन है कि वे अिस महान संस्कृतिको हमेशा याद रखें, क्योंकि हम सब अुसकी सन्तान हैं।

३-८-५३

(गुजरातीसे)

मंगनभायी देसायी

उत्तर प्रदेशका भाषा-संबंधी विवाद

गये महीनेमें पंडित नेहरू दो-चार दिनके लिये अपने घरके प्रान्तमें—उत्तर प्रदेशमें थे। वहां उनके कभी व्याख्यान हुआ, जिनमें उन्होंने आजकल चलनेवाले विविध सवालकी चर्चा की। जिनमें से एक सवाल भाषा पर चलनेवाले विवादका भी था। उस पर दो बार वे बोले। उन्होंने जो कुछ कहा उसकी रिपोर्ट हम 'नेशनल हेराल्ड', लखनऊ, ता० १९-७-५३ के अंकसे यहां अद्धत करते हैं:—

ता० १८ जुलाईको अलाहाबादमें कायस्थ पाठशालाके मैदानमें एक सार्वजनिक सभामें भाषण करते हुए पंडित नेहरूने कहा कि कभी लोगोंको अभी तक आजादीका सही अर्थ ही समझमें नहीं आता और वे देशको जहांका तहां पीछे घसीट ले जाना चाहते हैं। जिस सिलसिलेमें उन्होंने भाषाके सवालका जिक्र किया और कहा कि जनताके किसी भी समुदायकी भाषा या संस्कृतिको दबानेकी कोशिश करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि उर्दू कोभी पाकिस्तानकी भाषा नहीं है और उसकी अपेक्षा और अवज्ञा करना हमारे गौरवके अनुकूल नहीं होगा।

आगे बोलते हुए पंडित नेहरूने कहा कि भाषामें देशकी सांस्कृतिक संपत्ति निहित होती है। हम लोगोंने निर्णय किया है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और उसके जिस पदके अनुकूल हम उसे एक शक्तिशाली भाषा बनायेंगे। लेकिन साथ ही हमें प्रान्तीय भाषाओंको, जिनका साहित्य काफी समृद्ध है, त्रिकासका समान अवसर देना चाहिये। भाषाका विकास कानून पास करके नहीं किया जा सकता, उसके लिये उसी कोटिकी संभाल और सावधानी चाहिये, जो नन्हें पौधेकी रक्षाके लिये जरूरी होती है।

उसी दिन आनन्द-भवनमें कांग्रेस-कार्यकर्ताओंको भाषण देते हुए उन्होंने कहा:

“हम एक विशाल देशके निवासी हैं जिसमें अनेक प्रदेश हैं, विविध भाषाओं हैं, और रहन-सहनकी अलग-अलग रीतियां हैं। एक-दूसरेके प्रति यदि हम सहिष्णुताका भाव न रखें तो हम गिरेंगे। सामाजिक सवालों पर या भाषाके विषयमें हमें अपना मत दूसरों पर लादनेका आग्रह नहीं रखना चाहिये।”

उन्होंने आगे कहा, “उर्दूका हिन्दीकी प्रतियोगिता करनेका सवाल नहीं है। लेकिन उर्दूको दबानेका या किसी तरह उसका विकास रोकनेका भी कोभी सवाल नहीं होना चाहिये। सब बात तो यह है कि हिन्दीके साथ-साथ हमें दूसरी भाषाओंको भी समृद्ध करना है। उर्दूको हर तरहका प्रोत्साहन मिलना चाहिये, ताकि वह बढ़ सके।”

'नेशनल हेराल्ड' ने जिन भाषणोंके प्रसंगमें जिस सवाल पर अपने संपादकीय लेखमें निम्न-लिखित विचार प्रगट किये हैं:—

“एक महत्वपूर्ण सवाल जिसकी कांग्रेस-अध्यक्षने विशेष चर्चा की उर्दूकी स्थितिके विषयमें है, जिस पर उत्तर प्रदेशमें जब तक कुछ विवाद चलता रहता है। यह विवाद बढ़े और अवांछनीय रूप ग्रहण करे, उसके पूर्व बहुत अच्छा होगा कि हिन्दी-प्रेमी और उर्दू-प्रेमी दोनों ही जिस सवाल पर उन मुद्दोंको ध्यानमें रखकर विचार करें, जिन पर कांग्रेस-अध्यक्षने अपने भाषणोंमें काफी जोर दिया है।

“पहला मुद्दा यह है कि हिन्दी हमारी संघ-भाषा होगी और जिस रूपमें उसे सारे देशकी मान्यता मिलेगी। तो जिस अर्थमें राष्ट्रीय भाषाकी तरह हिन्दीकी जो विशेष स्थिति है, उसकी प्रतियोगिता कोभी दूसरी भाषा नहीं कर सकती, यह विलकुल निश्चित है। जिस हिन्दीके रूप और शैलीकी चर्चा करनेकी

अभी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी उसका निर्माण अतना नहीं हुआ है कि उसका विचार किया जाय।

“दूसरा मुद्दा यह है कि हमारा संविधान जिन भाषाओंको मान्य करता है, उनमें से किसी भाषाको बोलने-समझनेवाले जहां काफी संख्यामें हों, फिर वह जिस-किसी भाषाका क्षेत्र हो, वहां उक्त भाषा-भाषियोंके लिये कुछ सुविधाओंकी व्यवस्था जरूर करना चाहिये।

“तीसरा मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रान्तमें उर्दूके अधिकारको एकदम अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जिसके सिवा दूसरे देशोंके, खासकर मध्य-पूर्वके देशोंके साथ हमारे जो संबंध हैं, उनकी दृष्टिसे भी उर्दू भाषा और लिपिका एक खास महत्त्व है।

“अगर जिस सवाल पर ऊपर कहे गये मुद्दोंको ध्यानमें रखकर विचार किया जाय, तो उसके अपयोगी परिणाम आ सकते हैं। अभी तक हमारी राज्य सरकारने कभी बार की गयी जिस शिकायतका कोभी जवाब नहीं दिया है कि स्कूलोंमें कभी जगह उर्दूको उसके स्थानसे हटा दिया गया है या कि उसके शिक्षणकी सुविधायें वापस ले ली गयी हैं; और यह देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि जिस तरहकी शिकायतका अतने दिन तक कोभी जवाब नहीं दिया गया है। शीघ्र ही एक उर्दू-कान्फरेंस होनेवाली है। उसका उद्देश्य मामूली ही है, यद्यपि यह देखना है कि उसकी मांगें ठीक क्या होंगी। जिस प्रश्न पर विचार करनेमें एक गड़बड़ तो 'राज्य-भाषा', 'प्रादेशिक भाषा' जैसे अनिश्चित शब्द-प्रयोगोंके व्यवहारसे होती है। जैसे प्रयोगोंसे बचना चाहिये। और फिर उस पर तर्क-शुद्ध विचार होना चाहिये। कांग्रेस-अध्यक्षका मत सुन चुकनेके बाद अब कांग्रेसियोंको जिस विवादमें सही नेतृत्व कर सकना चाहिये।”

जिस संपादकीयमें एक मुख्य मुद्दा यह पेश किया गया है कि राष्ट्रीय भाषाके रूपमें हिन्दीकी स्थिति अद्वितीय है। और जैसा पण्डितजीने कहा है, उर्दू या किसी दूसरी भाषाका उसके साथ प्रतियोगिता करनेका कोभी सवाल नहीं है। लेकिन, जैसा संविधानके आठवें श्रेड्यूलमें बताया गया है, एक दूसरी हिन्दी भी है। वहां उर्दू, बंगाली, गुड़िया आदिका अल्लेख हुआ है। जिनमें से कोभी भी, और साथ ही वहां अल्लिखित हिन्दी भी, संघकी सरकारी भाषा—यद्यपि सेक्शन ३४३ में उसका नाम हिन्दी दिया गया है—के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकती। और न जिन भाषाओंको आपसमें ही कोभी प्रतियोगिता करनी चाहिये। जिन सबको अपनी अपनी अज्ञति करनी चाहिये, और साथ ही सबको मिलकर संघकी मान्य सरकारी भाषा हिन्दीका विकास और समृद्धि करनी चाहिये। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि समग्रका स्थान उसका एक अंश नहीं ले सकता। उत्तर प्रदेशमें जो भाषा-संबंधी विवाद चल रहा है, उसमें जिस बातको ठीक ठीक न समझ सकनेके कारण बहुत अम पैदा हुआ है। मेरे पिछले लेख 'खेदजनक निर्णय' (हरिजन-सेवा, १८-७-५३) की कहीं-कहीं बहुत तीव्र आलोचना हुई है। उससे मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। जिन आलोचनाओं पर मैं यहां कोभी विचार नहीं करना चाहता; सिर्फ अतना ही कहता हूँ कि उनका कारण भी बहुत अंशमें यही है कि श्रेड्यूलमें जिन चौदह भाषाओंका अल्लेख हुआ है, सामान्यतः उनके मुकाबलेमें और खासकर हिन्दी और उर्दूके मुकाबलेमें संघकी सरकारी भाषा हिन्दीकी क्या स्थिति है जिसकी सही परीक्षा नहीं हुई है।

२९-७-५३
(अग्नेयीसे)

संगनभाषी देसायी

रांची जिलेमें विनोबाजी

नागफेनीमें विनोबाजी अके मंदिरमें ठहरे थे। शामका समय था। आरती समाप्त हो चुकी थी, परंतु घंटानाद कानोंमें गूंज रहा था। मंदिरके सामने विनोबाजी टहल रहे थे। सहसा अके गरीब किसान अुनके पास पहुंचा और अुसने हाथ जोड़कर अुनसे कहा, "बाबा, मैंने अपनी ३ अकड़ जमीनमें से ४० डेसीमल जमीन दान कर दी है। तो अब मैं अुस दान दी हुअी जमीनकी काश्त नहीं करूंगा। अुसका अके दाना भी लेना पाप है, क्योंकि वह तो दान कर दी गयी है।" विनोबाजीने अुसे समझाया कि देशकी जमीन अिस तरह पड़ती नहीं रहनी चाहिये, तुम्हें अिस पर काश्त करनी होगी। परंतु वह अिस चीजको नहीं स्वीकार कर पाता था। अुसने कहा, "आप चाहे अिसे वह जमीन दे दीजिये, परंतु मैं अुसका दाना भी नहीं ले सकता हूं।" फिर विनोबाजीने अुससे कहा, "जब तक बंटवारा नहीं होता मेरी ओरसे तुम्हें वह जमीन जोतना है।"

अुस दाताकी मनोवृत्ति भारतीय किसानकी प्रातिनिधिक मनोवृत्ति थी। यात्रामें अैसे कमी किस्से बने हैं। थोड़ी देर बाद विनोबाजी प्रगट चितनके जैसा बोलने लगे, "यह है हमारी जनताकी श्रद्धा। और अिस पर भी पढ़े-लिखे लोग मुझे कहते हैं कि आप ठगे जा रहे हैं। आपके हाथमें सिर्फ दान-पत्रके कागज ही रहनेवाले हैं। जमीन नहीं आनेवाली है।"

दूसरे दिन सांझी जाते समय अके विद्यार्थीने शामकी घटनाका अिक्र करते हुअे विनोबाजीसे कहा, "वह किसान दानकी बात कर रहा था। अिसका अर्थ यह कि वह समझ रहा था मैं दान दे रहा हूं। अुसे तो यह समझना चाहिये था कि मैं गरीबोंका हक दे रहा हूं।" विनोबाजी कुछ गंभीर स्वरमें कहने लगे, "आप लोग अुस भारतीय किसानकी भाषा नहीं समझ सकते। अपने मनमें सोचते भी हैं तो विदेशी भाषामें। आपकी हककी बात वह क्या जाने? हिन्दी भाषामें 'हक' के लिये 'अधिकार' शब्दका प्रयोग किया जाता है। परंतु अधिकारमें कर्तव्यकी भावना निहित है। भारतीय संस्कृति अधिकारकी बुनियाद पर खड़ी है। वह कहती है, तुम अपना कर्तव्य करते चले जाओ, तुम्हें अपना हक स्वाभाविक रूपसे हासिल होगा। और दानमें क्या बुराही है? मेरी भाषा वह किसान ही आसानीसे समझ सकता है। वह मूक है परंतु अुसकी भाषा मेरी वाणी द्वारा प्रगट हो रही है। आपकी हककी भाषा वह नहीं समझ सकता। क्योंकि अुसका मन भारतीय संस्कृतिकी गोदमें पनपा है। जयप्रकाशजी देहातियोंको किस भाषामें समझाते हैं, जरा देखो न। वे कहते हैं, "अिस चार दिनकी जिन्दगीके लिये अितनी हाथ-हाथ काहेको? अुसके बाद कितनी लंबी सफर तय करनी है, जरा अुसकी भी तो चिन्ता करो। वहां आपकी धरती-संपत्ति आपका साथ नहीं देगी। वहां तो आपका कर्म ही आपका साथ देगा।" चर्चा चलती रही। विद्यार्थीने कहा, "आप नैतिक दबावकी जो बात करते हैं, वह तो हमें पसन्द आती है। परंतु हृदय-परिवर्तनकी प्रक्रिया पर हमारा विश्वास नहीं है। अुसके लिये हजारों साल भी लग सकते हैं।" मुकाम आ गया और चर्चा अधूरी ही रह गयी।

फिर शामकी प्रार्थना-सभामें विनोबाजीने हृदय-परिवर्तनके ही विषयका विवेचन किया। धर्म-चक्र-प्रवर्तनकी बात तो हम हमेशा सुनते आये हैं। परंतु अुस भाषणसे अुसका यथार्थ स्वरूप ध्यानमें आया। धर्मविचार और जमानेकी मांग, जब दोनों जुड़ जाते हैं, तब धर्म-चक्र-प्रवर्तन होता है।

भाषणका आरंभ नैतिक ताकतके विश्लेषणसे हुआ। विनोबाजीने कहा, "हमें अके नैतिक ताकत पैदा करना चाहते हैं। हिन्दुस्तानने अपनी आजादी अके अनेखे ढंगसे हासिल की।

अिसलिये अके नैतिक ताकत निर्माण हुअी। आज भी हिन्दुस्तानमें कोअी ताकत पैदा हो सकती है तो वह नैतिक ताकत ही है। हम सबको यह धर्म सिखाना चाहते हैं कि भूखे पड़ोसीकी चिन्ता करना हमारा कर्तव्य है। आसपासके लोगोंमें भूख, अज्ञान और बीमारी हो, तो अिनके पास धन, बुद्धि और शक्ति है अैसे लोगोंको कमी सुख नहीं मालूम होना चाहिये। अिसीको हम हृदय-परिवर्तन कहते हैं।

"नैतिक दबाव और हृदय-परिवर्तनमें फर्क करना ही गलत है। विहारमें अब तक चालीस हजार लोगोंने दान दिया है। जमीन तो ज्यादा नहीं मिली, क्योंकि अुसमें बहुत सारे गरीब थे। परंतु अुसका प्रभाव अब बड़े लोगों पर हो रहा है। अुनके दिल अब पसीज रहे हैं। अके भावना अुन पर हावी हो रही है, अिसको वे टाल नहीं सकते। और अिस जिलेमें तो अके राजा (पालकोटके) हमारे अेजेंट बनकर घूम रहे हैं। क्या यह हृदय-परिवर्तन नहीं है? परंतु हृदय-परिवर्तन हिसाबसे नहीं होता। अके मनुष्यका हृदय-परिवर्तन हुआ, तो आसपासके पचासों लोगों पर अुसका असर होता है। यहां पर अके ताना भगत पैदा हुआ, तो अुसने हजारोंको भक्त बनाया। अिसीको मनुष्यके विचारका दबाव कहते हैं। अिसीको लोकलज्जा कहते हैं। यह हिसा शक्तिसे सर्वथा भिन्न है। वेदमें कहा है— दान दिया जाता है वह लोकलज्जासे दिया जाता है। अिसलिये लोकलज्जा अके बड़ी बात है। सारा समाज क्या कहता है, यह देखकर कुछ करना हृदय-परिवर्तन ही है। हृदय-परिवर्तनकी डिग्री नापना ठीक नहीं है। अिसलिये हृदय-परिवर्तनकी हंसी मत करो।

"बाहरकी परिस्थितसे हृदय-परिवर्तन होता है और हृदय-परिवर्तनका परिणाम बाहरकी परिस्थिति पर होता है। अके दूसरेका परिणाम अके दूसरे पर होता है। बीजसे फल होता है और फलसे बीज पैदा होता है। अगर किसी व्यक्तिका बुढ़ापेमें लड़का मर गया और अुसमें वैराग्य निर्माण हुआ, तो क्या आप यह कहेंगे कि बुढ़ापेके कारण और लड़केकी मृत्युके कारण वैराग्य निर्माण हुआ है, अिसलिये वह सच्चा नहीं है? हां, यह बात सही है कि जब वह जवान था और अुसका लड़का जिन्दा था, तब अुसमें आसक्ति थी। परंतु कमी लोग बुढ़े होते हैं और कमी लोगोंके लड़के मर जाते हैं, फिर भी वे वैरागी नहीं बनते। अिसका मतलब यह है कि अुसके हृदयमें पहलेसे ही कुछ भावना थी और फिर लड़केकी मृत्यु अके निमित्त बन जाती है। अिसलिये हरअके मनुष्यके हृदयमें अच्छी भावना है, अैसा विश्वास रखो। हमने हरअकेको मत (वोट) का हक दिया है। अिसके मानी यही है कि हम मानते हैं हरअकेके हृदयमें सद्भावना है।

"हम दो बाजूसे काम कर रहे हैं। (१) हम हरअकेके — गरीब-श्रीमान सबके — हृदयमें जो परमेश्वर है अुस पर भरोसा रखते हैं। (२) हम अैसी परिस्थिति निर्माण करना चाहते हैं, अिससे लोगोंमें अैसी जागृति पैदा हो, अिसमें लोगोंसे दान दिये बगैर नहीं रहा जाय। अिस तरह नैतिक जागृति यानी हृदय-परिवर्तन और जन-जागृति, अैसी दोहरी जागृति हम करना चाहते हैं। केवल लोक-जागृति हुअी और नैतिक जागृति नहीं हुअी, तो परिणामस्वरूप हिसाकी शक्ति पैदा हो सकती है। और केवल नैतिक जागृति हुअी तो काम बननेमें बहुत समय लगेगा। अिसलिये हम दोहरा काम कर रहे हैं। जैसे पंछीके दो पंख होते हैं, अके पंखसे वह उड़ नहीं सकता, वैसे ही धर्म-कार्य दो तरहसे होता है। अन्दरसे जागृति निर्माण करनेसे और परिस्थितिमें परिवर्तन करनेसे।

"सामान्य धर्मप्रचार और क्रांति या धर्म-चक्र-प्रवर्तन ये दो भिन्न-भिन्न वस्तुअें हैं। सामान्य धर्म तो ऋषि और संत लोग हमेशा

समझाते रहते हैं। जिसलिये सर्वसामान्य धर्मप्रचार एक बात है। और जमानेकी मांग क्या है, यह पहचान कर धर्मविचारको उसके साथ जोड़ देना दूसरी बात है। गांधीजीने देशको अिसी-तरीकेसे अहिंसा सिखायी है। प्रेमसे, अहिंसासे लड़नेकी बात तो पुरानी ही थी। परंतु उसे वे स्वराज्यके साथ नहीं जोड़ते, तो सिर्फ अन्हें दस-बीस अनुयायी ही मिल पाते। उस समय हम तलवारसे नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि निःशस्त्र थे और अंग्रेज लोग शस्त्रोंमें हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। जिसलिये अहिंसासे लड़ना आवश्यक ही था, परिस्थिति ही उसके अनुकूल थी। जिस तरह आन्तरिक धर्मविचारका बल और परिस्थितिका बल—अिन दोनोंको जोड़कर अन्होंने देशको अहिंसा सिखायी और अुसीसे हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ। अुसी तरह आज गरीबोंकी जमीनकी अत्यन्त आवश्यकता है। सिर्फ हिन्दुस्तानमें ही नहीं, सारे अशियामें जमीनकी भूख है। गरीबोंको जमीन दिये बगैर वे शान्त नहीं रह सकते। अैसी परिस्थिति है। और अुसीके साथ हम लोगोंको यह धर्मविचार समझा रहे हैं कि भूखे पड़ोसीको जमीन देनी चाहिये। जमीन परमेश्वरकी देन है, जिसलिये उस पर सबका समान अधिकार है। अगर यही विचार हम कुछ ५००-१००० साल पहले समझाते, तो लोग हमारी बात नहीं सुनते। जिसलिये यह बात भी जमानेकी मांगके साथ जोड़ देते हैं, तो सिर्फ मामूली धर्म-प्रचार नहीं होता है, बल्कि धर्म-चक्र-प्रवर्तन होता है। संत और ऋषि-मुनि मामूली धर्मप्रचार तो हमेशा करते रहते हैं, परंतु अुससे धर्म-चक्र-प्रवर्तन नहीं होता है। लेकिन जहां परिस्थितिके साथ धर्मभावना जुड़ जाती है, वहां वह लोगोंके दिलको छूती है। अुसीसे बड़ी शक्ति पैदा होती है। और अुससे धर्म-चक्र-प्रवर्तन होता है।”

सभामें श्रोतागण तो अपढ़ किसान थे। जिसलिये विनोबाजीने यही भाव सरल भाषामें समझा दिया:—

“अेक अैसा मौका होता है जब धर्म करनेकी प्रेरणा होती है। आज ग्रहणका दिन है और कोअी दान देनेकी बात समझाता है, तो वह फौरन मनको पकड़ लेती है। वैसे दान तो हर रोज करना चाहिये, लेकिन ग्रहणके दिन वह बात जल्द समझमें आती है, क्योंकि वह अेक खास मौका है। आज हमें लाखों अेकड़ जमीन मिल रही है। पहले तो अैसा कभी नहीं हुआ था। तो क्या अेकदम अितने सारे लोगोंके दिल धर्मभावनासे भर गये हैं? अैसा तो नहीं हो सकता। जिस दानमें धर्मकी भावना है। परंतु अुसके साथ परिस्थितिकी आवश्यकता, जमानेकी मांग और युग-धर्म भी है।

“सबका हृदय-परिवर्तन तब होता है, जब जमानेकी मांग और धर्मकी भावना दोनों जुड़ जाते हैं। यह बिलकुल आंतरिक हृदय-परिवर्तन नहीं कहा जायगा, परंतु कुछ हृदय-परिवर्तन जरूर है। अगर कोअी पूरे हृदय-परिवर्तनके साथ दान देता है, तो अुसे मोक्ष मिल ही जायगा। परंतु थोड़ी धर्मभावनासे देता है, तो हमारे आन्दोलनके लिये अुतना भी काफी है। हमारे आन्दोलनके लिये यह जरूरी नहीं है कि हर कोअी पूरी चित्त-शुद्धिसे ही दान दे। आज जमीन देना आवश्यक है, जिस बातको लोग समझ लें तो हमारे लिये अुतना ही बस है।

“यह अीश्वरका काम है और वही मेरे जैसे तुच्छ अौजारके जरिये अुसे कर रहा है। नहीं तो मेरे जैसे सामान्य मनुष्यके शब्दोंकी आज अितनी कीमत नहीं होती। परंतु वह जब चाहता है तो सब कुछ हो सकता है। लोग पूछते हैं कि यह काम असफल हुआ तो क्या होगा? लेकिन हम जिस तरह नहीं सोचते। यह काम विनोबाका नहीं है, परमेश्वरका है। जिसलिये यह असफल हुआ तो विनोबाकी फजीहत नहीं होगी, बल्कि परमेश्वरकी ही फजीहत होगी।”

नि० दे०

खादी और गांवोंकी बेकारी

बम्बयीके भूतपूर्व अर्थमंत्री और अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्डके अध्यक्ष श्री वेंकुण्ठलाल मेहताने बेकारीके सवाल पर अेक निवेदन जाहिर करते हुअे कहा कि “गांवोंकी बेकारी दूर करनेके लिये खादीका पुनरुद्धार ही अेकमात्र अुपाय है।”

श्री मेहता कहते हैं, “बहुतेरे देशोंमें सामाजिक सुरक्षाकी योजनाअें चल रही हैं, जो नागरिकोंको बेकारीके खिलाफ संरक्षण प्रदान करती हैं। हमारे देशमें जब अैसी योजनाओंकी तजवीज की जाती है, तो हम लोग बड़े-बड़े अुद्योगोंमें काम करनेवाले औद्योगिक मजदूरोंके ही विषयमें सोचते हैं। लेकिन हमारे यहां अैसे औद्योगिक मजदूरोंकी संख्या अपेक्षाकृत कम है, शारीरिक मेहनत करनेवाले हमारे ज्यादा मजदूर तो खेतीके अुद्योगमें लगे हुअे हैं; और अुनके तथा अुनके परिवारोंके लिये अयर्थाप्त और आंशिक काम-धंधेका सवाल कभी-कभीका नहीं, बल्कि हमेशाका है। मजदूरोंके अेक हिस्सेके लिये तो सामाजिक सुरक्षा बनायी जाय और दूसरे हिस्सेके लिये न बनायी जाय, यह अेक अनुचित भेदभाव होगा, और यह हमारी समग्र राष्ट्रकी अुन्नति करनेकी नीतिके भी खिलाफ होगा। लेकिन देहातोंमें बेकारीके खिलाफ संरक्षणकी व्यवस्था करना बहुत बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी स्वीकार करना है; वह सचमुच अितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि केन्द्र अथवा राज्यकी सरकारें व्यवहारमें अुसे अुठा ही नहीं सकतीं।

“लेकिन साथ ही लाखों-करोड़ों आदिमियोंको—कुछको साल भर और बाकी कुछको बड़े अरसे तक—बेकार रहने देना आर्थिक दृष्टिसे बहुत गलत है। दूसरी दृष्टियोंसे भी अुसमें अनेक दोष हैं, पर अभी हम अुनका विचार नहीं करेंगे। अैसे लोगोंको राहत पहुंचानेके लिये ‘निर्वह-खर्च’ (डोल) की व्यवस्था करनेकी बात सोची जा सकती है। लेकिन अेक तो अितने ज्यादा आदिमियोंके लिये ‘डोल’ देना हमारे यहां व्यवहार्य नहीं है और व्यवहार्य हो भी तो वह समाजके हितकी दृष्टिसे अनुचित है। तो, जैसा महात्मा गांधी दावा करते थे, जिस परिस्थितिका खादी ही अेकमात्र अिलाज है।

हाथ-करघेका कपड़ा

“यद्यपि खादीका अुत्पादन बढ़ानेसे ज्यादातर काम हाथ-कताअी करनेवालोंको ही मिलेगा, जो कि अुसे फुरसतके समयके पूरक कामकी तरह करेंगे, लेकिन साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिये कि अुससे घुनाअी करनेवाले या बुनाअी करनेवाले लोगोंको भी काम मिलेगा और अिन लोगोंको अुसमें पूरा काम मिलता है।

“हाथ-करघा अुद्योगकी हमेशा यह शिकायत रही है कि अुसे पूरा सूत नहीं मिलता और फलतः अुसकी अुत्पादनकी क्षमता कामके अभावमें बेकार पड़ी रहती है। हाथ-करघेके बुनकरोंको पूरे माहका काम शायद ही मिलता हो। हाथ-कते सूतका अुत्पादन बढ़नेसे हाथ-करघेके बुनकरोंको ज्यादा काम मिलेगा और तब अुन्हें तथा जिस अुद्योगसे संबद्ध दूसरे कारीगरोंको कामकी कमी नहीं रहेगी।”

खादीके लिये राज्यके संरक्षणकी मांग करते हुअे श्री मेहता कहते हैं, “जिससे हो सकता है कि मिल तथा खादीके कपड़ेकी कीमतोंमें आज जो बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है, वह कम हो जाय और खादी-अुद्योगका मजबूत पाये पर अैसा नया संघटन किया जा सके कि राष्ट्रीय योजनामें अुसे जो कार्य दिया गया है, अुसे वह योग्यतापूर्वक पूरा कर सके। स्टैंडर्ड किस्मोंकी खादीका टिकाअुपन अुसी किस्मके मिलके कपड़ेसे किसी तरह कम नहीं होता, तब भी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अुसके अुत्पादनका स्तर और ज्यादा अुपर अुठानेकी कोशिश करेगा। अुत्पादन बढ़ानेसे कीमतें घटाअी

जा सकनेकी आशा कर सकते हैं। कृपास खरीदने और उत्पाद खादी बाजारमें बेचनेके कार्यमें ज्यादा सावधानी तथा अधिक सुविधापूर्ण अुपायोंका अवलम्बन करनेसे भी कीमतें घटानेमें मदद होगी। लेकिन कीमतें घटानेका मुख्य अुपाय तो उत्पादनकी सुधरी हुयी विधियोंका अर्थात् ज्यादा कार्यक्षम औजारों और अुत्पादनके बेहतर तरीकोंका प्रयोग ही हो सकता है। महात्मा गांधी अखिल भारत चरखा-संघसे खादी-कामके इसी पहलूका अनुसंधान करनेकी अपेक्षा करते थे और खादी-बोर्ड भी आरंभसे इसी पहलू पर ज्यादा ध्यान देना चाहता है।

“खादी और ग्रामोद्योगोंकी अुन्नतिका मुख्य आर्थिक औचित्य तो वही है, जिसे दृष्टिमें रखकर योजना-कमीशनने अपनी रिपोर्टमें जगह-जगह राष्ट्रीय अर्थ-रचनामें ग्रामोद्योगोंकी अनिवार्यता स्वीकार की है। अुसने ग्राम-विकासके कार्यक्रममें ग्रामोद्योगोंको अुतने ही महत्त्वका स्थान दिया है, जितना कि खेतीके अुत्पादनकी नयी रचनाको। कमीशन विविध ग्रामोद्योगोंको गांवोंकी पुनर्रचनाका आवश्यक अंग मानता है, कारण अेक तो विशेष पूंजी लगाये बिना ही अुनमें साधारण अुपयोगकी वस्तुओंका अुत्पादन होता है, दूसरे अुनसे हमारे गांवोंमें खेती-काममें लगे हुये अैसे मजदूरोंको, जिन्हें या तो पूरा काम नहीं मिलता या जिन्हें बेकार ही रहना पड़ता है, गांवोंमें ही काम-धंधा मिलनेकी व्यवस्था हो जाती है।

“केन्द्र और राज्यकी सरकारें तथा साधारण जनता इस महत्त्वके काममें अिन गृह-अुद्योगोंकी ही वस्तुओं खरीदकर — चाहे अुसमें अुन्हें कुछ ज्यादा दाम देने पड़ें — बहुत मदद पहुंचा सकते हैं।

[ता० २१-७-५३ के 'हिन्दू' से]
(अंग्रेजीसे)

टिप्पणियां

अेक सादा सवाल

प्रेसिडेन्ट आइसनहोवरका लड़का मेजर जॉन आइसनहोवर जुलायी १९५२ से कोरियामें लड़ाईके मोर्चे पर था। अैसे हर किसी पिताकी तरह, जिसका पुत्र कोरियामें लड़ाईके मोर्चे पर काम कर रहा था, प्रेसिडेन्ट आइसनहोवरको भी युद्ध-विरामके समझौते पर दस्तखत होनेकी अधिकृत सूचना पाकर बड़ी राहत मिली और खुशी हुयी। अुन्होंने कहा, “युद्ध-विरामके समझौते पर दस्तखत हो गये। . . . मैं आशा करता हूं कि मेरा लड़का जल्दी ही घर लौट आवेगा।”

बेशक हरअेक पिता और माताको, भाजियों और बहनोंको और सभीको अपने प्रियजनोंके घर लौट आनेसे आनन्द होगा। लेकिन वे जितना ही पूछते हैं : आखिर हमारे प्रियजनोंके हमसे दूर जानेकी और वहां दूसरे किसीके प्रियजनोंको — प्रिय पुत्र, भाभी, बहन या पति वगैराको — मारनेकी और शायद अुस लड़ाईमें, जिसे अुचित नहीं कहा जा सकता, मारे जानेकी जरूरत क्यों पैदा होनी चाहिये? प्रेसिडेन्ट आइसनहोवरके जैसे पिताओंको और अुनके जैसे दूसरे लोगोंको, जिनके हाथमें लाखों-करोड़ों मानवोंका भाग्य है, पीड़ित मानवताके इस सादे प्रश्नका अुत्तर देना है।

३०-७-५३
(अंग्रेजीसे)

म० प्र०

खादी-बोर्ड द्वारा आर्थिक मददकी घोषणा

अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्डने प्रमाणित संस्थाओंको खादी और खादी-अुत्पादनके औजारोंकी बिक्री पर, वस्त्र-स्वावलम्बनकी खादीके बुनायी-खर्च पर और व्यवस्था-खर्च पर नीचे लिखे अुत्ताधिक आर्थिक मदद देनेकी घोषणा की है :

१. खादी-बिक्रीके लिये अेक रुपये पर ३ आनेकी मदद;
२. वस्त्र-स्वावलम्बनकी अेक वर्गगज खादीके बुनायी-खर्च पर ५ आने प्रति वर्गगज या ५० प्रतिशत (जो भी कम हो) मदद;

३. वस्त्रस्वावलम्बन-योजनाकी व्यवस्थाके लिये प्रमाणित संस्थाओं द्वारा बुनी गयी अेक वर्गगज खादीके पीछे २ आनेकी मदद;

४. प्रमाणित संस्थाओंको रु० २००० तकके खादी-अुत्पादन और जितनी ही रकम तककी फुटकर बिक्री पर ६३ प्रतिशत मदद दी जायगी;

५. मान्य किये हुये किस्मके हर धुनायी मोडिया पर (अेक नये प्रकारकी धुनकी, जिसकी कीमत ३५ से ४० रुपयेके करीब होती है) रु० १५ की रिआयत दी जायगी।

६. किसी भी नमूनेके हर चरखे पर (बांसके चरखेको छोड़कर) रु० २-८-० की मदद;

७. अपने सहायक सरजामके साथ पूर्ण हर करवे पर रु० ५० की मदद दी जायगी।

५, ६ और ७ के संबंधमें अुन्हें औजारों पर मदद दी जायगी, जो प्रमाणित कारखानोंमें बने होंगे। प्रमाणित केन्द्रों और भंडारोंको बतायी हुयी रिआयतके साथ ग्राहकोंको औजार बेचनेका अधिकार दिया जाता है। इस रिआयतकी भरपायी अुन्हें अुनके दोहरे बिलों और पाक्षिक बिक्री-रिपोर्टोंकी जांचके बाद कर दी जायगी।

अुपरकी मदद तुरन्त देना शुरू कर दी जायगी।

वी० पी० सबनीस

दफ्तर-मंची

(अंग्रेजीसे)

अ० मा० खा० ग्रा० बोर्ड

दिवेक और साधना

लेखक : केदारनाथ

संपादक

किशोरलाल मशहवाला : रमणीकलाल मोदी

कीमत ४-०-०

डाकखर्च १-२-०

डापूके पत्र--२

सरदार वल्लभभाजीके नाम

संपादिका : मणिबहन पटेल

कीमत ३-८-०

डाकखर्च १-२-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद - ९

विषय-सूची

| विषय-सूची | पृष्ठ |
|-----------------------------------|----------------------|
| हिन्दी-अुर्दूका सवाल | गांधीजी १७७ |
| निकम्मा शिक्षण | विनोबा १७७ |
| भारतकी गृहनीतिका क्या? | विल्फ्रेड वेलांक १७८ |
| क्या यह टाला नहीं जा सकता था? | मगनभाजी देसाजी १७९ |
| “कोसी नहीं है गैर बाबा” | मगनभाजी देसाजी १८० |
| अुत्तर प्रदेशका भाषा-संबंधी विवाद | मगनभाजी देसाजी १८१ |
| रांची जिलेमें विनोबाजी | नि० दे० १८२ |
| खादी और गांवोंकी बेकारी | वैकुण्ठलाल मेहता १८३ |
| टिप्पणियां : | |

गरीबोंका खयाल करो

अेक सादा सवाल

खादी-बोर्ड द्वारा आर्थिक मददकी घोषणा

म० प्र०

म० प्र०

वी० पी० सबनीस १८४